

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 जनवरी 2021—पौष 21, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2021

क्र. 499-14-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक २ सन् २०२१

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-.....) अध्यादेश, २०२१

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ११ जनवरी, २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

वित्तीय वर्ष २०२०-२१ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -) अध्यादेश, २०२१ है.

वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,६७,७१.१७,१७,१६३ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियाँ, जिनका कुल योग रुपये सोलह हजार सात सौ इकहत्तर करोड़ सत्तानवे लाख सत्रह हजार एक सौ तिरेसठ मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अध्यादेश द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दिये जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियाँ, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियाँ		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त किया जावेगा रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व ०	१००	१००
००१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व ४७,३६,००,००० पूंजी २,१३,५४,०००	२४,०५,१०० ०	४७,६०,०५,१०० २,१३,५४,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
००२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	१६,०५,०००	०	१६,०५,०००
००३.	पुलिस	राजस्व	७००	०	७००
००४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	पूंजी	५८,००,०००	०	५८,००,०००
००५.	जेल	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
००६.	वित्त	राजस्व	४,४००	०	४,४००
००७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	१९,००,००,०००	०	१९,००,००,०००
००८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	१६,००,०६,००,०००	०	१६,००,०६,००,०००
		पूंजी	१,६३,३८,०००	०	१,६३,३८,०००
०१०.	वन	राजस्व	७१,९५,५५,५००	२०,००,०००	७२,१५,५५,५००
०१२.	ऊर्जा	राजस्व	१९,६१,३८,००,०००	०	१९,६१,३८,००,०००
		पूंजी	३८,६२,००,०००	०	३८,६२,००,०००
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	१६,००,८४,७४,०००	०	१६,००,८४,७४,०००
०१४.	पशुपालन	राजस्व	२०,१९,९०,०००	०	२०,१९,९०,०००
०१६.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राजस्व	३७,८९,३०,०००	०	३७,८९,३०,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०१८.	श्रम	राजस्व	१,६२,५०,००,०००	०	१,६२,५०,००,०००
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	१,५७,८४,००,३००	०	१,५७,८४,००,३००
		पूंजी	६००	०	६००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व	२,३९,३७,५८,०००	०	२,३९,३७,५८,०००
		पूंजी	२,१५,००,००,०००	०	२,१५,००,००,०००
०२३.	जल संसाधन	पूंजी	१,७५,००,०६,४००	०	१,७५,००,०६,४००
०२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	राजस्व	१,२१,००,००,०००	०	१,२१,००,००,०००
		पूंजी	१,६८,००,००,०००	०	१,६८,००,००,०००
०२५.	खनिज साधन	राजस्व	१,२०,००,०००	०	१,२०,००,०००
०२६.	संस्कृति	राजस्व	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
०२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	७,८८,४१,००,०००	०	७,८८,४१,००,०००
०२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	७,००,००,९००	०	७,००,००,९००
०३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	६,००,००,०००	०	६,००,००,०००
०३२.	जनसंपर्क	राजस्व	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
०३३.	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	२०,८८,००,१००	०	२०,८८,००,१००
		पूंजी	१२,२५,२०,०००	०	१२,२५,२०,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०३४.	सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण	राजस्व	९५,४८,६३०	०	९५,४८,६३०
०३६.	परिवहन	पूंजी	१००	०	१००
०३८.	आयुष	राजस्व	४४,८२,०४,८३३	०	४४,८२,०४,८३३
०३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	१०,१३,४००	०	१०,१३,४००
०४२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास.	राजस्व	१२,००,००,०००	०	१२,००,००,०००
०४४.	उच्च शिक्षा	पूंजी	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
०४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.	राजस्व	१२,७१,२०,०००	०	१२,७१,२०,०००
०४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी	७,४७,००,००,०००	०	७,४७,००,००,०००
०४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	२,५१,१२,००,०००	०	२,५१,१२,००,०००
०५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	२८,८५,८१,०००	०	२८,८५,८१,०००
०५१.	अध्यात्म	राजस्व	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
०५३.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	२५,८३,६३,२९,०००	०	२५,८३,६३,२९,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
०५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व १,३६,८५,३२,०००	० १,३६,८५,३२,०००
०५७.	पर्यावरण	राजस्व २०,१०,४७,२००	० २०,१०,४७,२००
०५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व ४०,५२,००,००,००० पूंजी ४,८५,४०,०१,०००	० ४०,५२,००,००,००० ० ४,८५,४०,०१,०००
०६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राजस्व ४,७८,६२,७०० पूंजी १,०७,०४,८३,३००	० ४,७८,६२,७०० ० १,०७,०४,८३,३००
०६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	पूंजी ४,५०,००,०००	० ४,५०,००,०००
०६३.	अल्प संख्यक कल्याण	राजस्व ७८,५५,९०० पूंजी ९५,०८,००,०००	० ७८,५५,९०० ० ९५,०८,००,०००
०६४.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व ६,०७,६६,९५,००० पूंजी २५,००,००,०००	० ६,०७,६६,९५,००० ० २५,००,००,०००
०६५.	विमानन	राजस्व ४,०२,००,००० पूंजी ३३,५०,००,०००	० ४,०२,००,००० ० ३३,५०,००,०००
०६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व ६,३०,००,०००	० ६,३०,००,०००
०६८.	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	राजस्व ४,००,००,०००	० ४,००,००,०००
योग :		राजस्व : १,४६,५५,७८,०८,५६३ पूंजी : २१,१५,७५,०३,४००	४४,०५,२०० ० १,४६,५६,२२,१३,७६३ ० २१,१५,७५,०३,४००
वृहद-योग :		१,६७,७१,५३,११,९६३	४४,०५,२०० १,६७,७१,९७,१७,१६३

भोपाल :
तारीख ७ जनवरी, २०२१

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2021

क्र. 499-14-इक्कीस-अ(प्रा.)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक . . .) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 2 OF 2021

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. . . .) ORDINANCE, 2021

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 11th January, 2021.]

Promulgated by the Governor in the Seventy First year of the Republic of India.

An Ordinance to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2020-21.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exists which render it necessary to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. . . .) Ordinance. **Short title.**
2021.
2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of **Rs. Sixteen Thousand Seven Hundred Seventy One Crore Ninety Seven Lakh Seventeen Thousand One Hundred Sixty Three only** towards defraying the several charge which shall come in the course of payment during the Financial Year 2020-21 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule. **Issue of Rs. 1,67,71,97,17,163 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2020-21.**
3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Ordinance, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year. **Appropriation.**

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding			
		To be Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
		Rs.	Rs.	Rs.	
	Charged Appropriation- Interest Payments and Servicing of Debt.	Revenue	0	100	100
001.	General Administration	Revenue	47,36,00,000	24,05,100	47,60,05,100
		Capital	2,13,54,000	0	2,13,54,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
002.	Other expenditure pertaining to General Administration Department	Revenue	16,05,000	0	16,05,000
003.	Police	Revenue	700	0	700
004.	Other expenditure pertaining to Home Department	Capital	58,00,000	0	58,00,000
005.	Jail	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
006.	Finance	Revenue	4,400	0	4,400
007.	Commercial Tax	Revenue	19,00,00,000	0	19,00,00,000
008.	Land Revenue and District Administration	Revenue	16,00,06,00,000	0	16,00,06,00,000
		Capital	1,63,38,000	0	1,63,38,000
010.	Forest	Revenue	71,95,55,500	20,00,000	72,15,55,500
012.	Energy	Revenue	19,61,38,00,000	0	19,61,38,00,000
		Capital	38,62,00,000	0	38,62,00,000
013.	Farmer Welfare and Agriculture Development	Revenue	16,00,84,74,000	0	16,00,84,74,000
014.	Animal Husbandry	Revenue	20,19,90,000	0	20,19,90,000
016.	Fisherman Welfare and Fisheries Development	Revenue	37,89,30,000	0	37,89,30,000
018.	Labour	Revenue	1,62,50,00,000	0	1,62,50,00,000
019.	Public Health and Family Welfare	Revenue	1,57,84,00,300	0	1,57,84,00,300
		Capital	600	0	600

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
022.	Urban Development and Housing			
	Revenue	2,39,37,58,000	0	2,39,37,58,000
	Capital	2,15,00,00,000	0	2,15,00,00,000
023.	Water Resources Department			
	Capital	1,75,00,06,400	0	1,75,00,06,400
024.	Public Works—Roads and Bridges			
	Revenue	1,21,00,00,000	0	1,21,00,00,000
	Capital	1,68,00,00,000	0	1,68,00,00,000
025.	Mineral Resources			
	Revenue	1,20,00,000	0	1,20,00,000
026.	Culture			
	Revenue	5,00,00,000	0	5,00,00,000
027.	School Education (Primary Education)			
	Revenue	7,88,41,00,000	0	7,88,41,00,000
029.	Law and Legislative Affairs			
	Revenue	7,00,00,900	0	7,00,00,900
031.	Planning, Economics and Statistics			
	Revenue	6,00,00,000	0	6,00,00,000
032.	Public Relations			
	Revenue	5,00,00,000	0	5,00,00,000
033.	Tribal Affairs			
	Revenue	20,88,00,100	0	20,88,00,100
	Capital	12,25,20,000	0	12,25,20,000
034.	Social Justice and disabled Person welfare			
	Revenue	95,48,630	0	95,48,630
036.	Transport			
	Capital	100	0	100
038.	Ayush			
	Revenue	44,82,04,833	0	44,82,04,833
039.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection			
	Revenue	10,13,400	0	10,13,400

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
042.	Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation	Revenue	12,00,00,000	0	12,00,00,000
044.	Higher Education	Capital	5,00,00,000	0	5,00,00,000
047.	Technical Education, Skill Development and Employment	Revenue	12,71,20,000	0	12,71,20,000
048.	Narmada Valley Development	Capital	7,47,00,00,000	0	7,47,00,00,000
049.	Scheduled Caste Welfare	Revenue	2,51,12,00,000	0	2,51,12,00,000
050.	Horticulture and Food Processing	Revenue	28,85.81.000	0	28,85.81.000
051.	Religious Trust and Endowments	Revenue	2.00.00.000	0	2.00.00.000
053.	Financial Assistance to Three Tier Panchayat Raj Institutions	Revenue	25,83,63,29,000	0	25,83,63,29,000
055.	Women and Child Development	Revenue	1,36,85,32,000	0	1,36,85,32,000
057.	Environment	Revenue	20,10,47,200	0	20,10,47,200
058.	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity	Revenue	40,52,00,00,000	0	40,52,00,00,000
		Capital	4,85,40,01,000	0	4,85,40,01,000
060.	Expenditure pertaining to District Plan Schemes	Revenue	4,78,62,700	0	4,78,62,700
		Capital	1,07,04,83,300	0	1,07,04,83,300

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
061.	Expenditure pertaining to Bundelkhand package	Capital	4,50,00,000	0	4,50,00,000
063.	Minority Welfare	Revenue	78,55,900	0	78,55,900
		Capital	95,08,00,000	0	95,08,00,000
064.	Financial assistance to Urban bodies	Revenue	6,07,66,95,000	0	6,07,66,95,000
		Capital	25,00,00,000	0	25,00,00,000
065.	Aviation	Revenue	4,02,00,000	0	4,02,00,000
		Capital	33,50,00,000	0	33,50,00,000
066.	Welfare of Backward Classes	Revenue	6,30,00,000	0	6,30,00,000
068.	Public Assets Management	Revenue	4,00,00,000	0	4,00,00,000
Total :		Revenue —	1,46,55,78,08,563	44,05,200	1,46,56,22,13,763
		Capital —	21,15,75,03,400	0	21,15,75,03,400
		Grand Total —	1,67,71,53,11,963	44,05,200	1,67,71,97,17,163

BHOPAL :
Dated: the 7th January, 2021

ANANDIBEN PATEL
Governor
Madhya Pradesh.